

**निदेशालय विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड,
23-लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।**

संख्या 168691/नि0वि0ले0/स्था0-2018/2025

दिनांक :: 26 अप्रैल, 2025

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तराखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या- 12/XXXVI(3)2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा पत्र के साथ संलग्न राज्य कर्मचारियों के स्थानान्तरण हेतु शासन द्वारा "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या-1 वर्ष 2018)" में दिये गये उपबन्धों के आधार पर वार्षिक स्थानान्तरण की कार्यवाही गतिमान है। उत्तराखण्ड शासन कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-102/XXX(2)/16/30/2017 दिनांक 14 अप्रैल, 2018 के क्रम में निदेशालय विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड एवं नियंत्रणाधीन वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत कार्यालयों को सुगम व दुर्गम में चिन्हीकरण किया गया है। तत्क्रम में निदेशालय एवं नियंत्रणाधीन वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत कार्यालयों में तैनात कार्मिकों के वार्षिक स्थानान्तरण के प्रयोजनार्थ उपलब्ध रिक्तियों एवं सम्भावित रिक्तियों तथा अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों की सूची निदेशालय द्वारा जारी की गयी है।

अधिनियम की धारा-9 के अनुसार सुगम से दुर्गम क्षेत्र में उपलब्ध एवं सम्भावित रिक्तियों की सीमा में पात्र कार्मिकों से अधिकतम (सुगम से दुर्गम स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों को) स्थानों (उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष) जहां वे तैनाती के इच्छुक हों, के लिए विकल्प मांगे जाने की व्यवस्था है।

अतः निदेशालय द्वारा जारी पात्रता सूची के अनुसार सुगम क्षेत्र में तैनात कार्मिक दुर्गम क्षेत्र में रिक्तियों/सम्भावित रिक्त पदों पर स्थानान्तरण हेतु अपना विकल्प अधिकतम (उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष) जहां तैनाती के अच्छुक हों प्राथमिकता क्रम में दिनांक 15 मई 2025 से पूर्व अनिवार्य रूप से इस निदेशालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

Digitally signed by
Ganga Prasad
Date: 26-04-2025
17:16:02

(गंगा प्रसाद)
निदेशक।

संख्या एवं दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन।
- 2- समस्त सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष।
- 3- स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिक।

ह0/-
(गंगा प्रसाद)
निदेशक।